इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2013—ज्येष्ठ 10, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. एफ-6-4-2007-जसं-चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, जनसम्पर्क विभाग के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश राज्य पत्रकार अधिमान्यता नियम, 2007 एवं मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2007 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007-भाग 4(ग) पृष्ठ क्र.-387

कण्डिका (1)	वर्तमान नियम (2)	संशोधन (3)
5	राज्य अधिमान्यता समिति में कुल 21 पत्रकार सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम तीन प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होंगे और जनसंपर्क संचालनालय तथा उसके नामांकित अपर संचालक सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति के कुल सदस्यों की संख्या 21 होगी.	राज्य अधिमान्यता समिति में कुल 25 पत्रकार सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम तीन प्रतिनिधि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के होंगे और जनसंपर्क संचालनालय तथा उसके नामांकित अपर संचालक सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति के कुल सदस्यों की संख्या 25 होगी.

मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2007 में संशोधनः—

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2005-भाग 4(ग) पृष्ठ क्र.-206

कण्डिका (1)	वर्तमान नियम (2)	संशोधन (3)
3.5	म. प्र. संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 16 संचार प्रतिनिधि, संचालक जनसंपर्क सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता प्रभाग के प्रभारी अपर संचालक, जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे, इस प्रकार समिति में कुल 18 सदस्य होंगे, समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सके.	मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में कुल 25 पत्रकार सदस्य होंगे, जिनमें से जनसंपर्क संचालनालय तथा उनके नामांकित अपर संचालक, सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति के कुल सदस्यों की संख्या 25 होगी, समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सकें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लाजपत आहूजा, अपर सचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ-3-5-2013-बासठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति के लिये स्वरोजगार अनुदान योजना नियम, 2010 के नियम 4.5 एवं 4.6 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् .—

संशोधन

नियम 4.5 ''आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय गरीबी रेखा सीमा में निर्धारित दुगनी राशि से अधिक न हो, (परिवार के सदस्यों में पति-पत्नि एवं अविवाहित, आश्रित बच्चे माने जायेंगे.)'' के स्थान पर ''आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रुपये 54000/- (रुपये चौव्वन हजार मात्र) से अधिक न हो, (परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी एवं अविवाहित, आश्रित बच्चे माने जायेंगे.)'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

नियम 4.6 ''हितग्राही पर किसी तरह का गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो'' संबंधी प्रविष्ठि को विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रगोपाल श्रीवास्तव, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.